तीन की हत्या में 14 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

- **कोर्ट ने हर दोषी पर लगाया 56 हजार 800 रुपये का अर्थदंड**
- **सोनवा क्षेत्र में 24 वर्ष पूर्व खेत में बकरी जाने पर हुई थी घटना**

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती: सोनवा क्षेत्र में 24 वर्ष पूर्व हुए नृशंस सामूहिक हत्याकांड में 14 दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अजय सिंह ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 56,800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नौ जनवरी 1998 को सोनवा क्षेत्र के तुरहनी रज्जब गांव में सत्तार के खेत में जमील की बकरी रस्सी तोड़कर चली गई थी। जमील का बेटा कल्लू अपनी बकरी पकड़ने खेत की ओर गया तो सत्तार ने गाली देते हुए कल्लू को थप्पड़ मार दिया। बकरी लेकर वह अपने घर की ओर जाने लगा। इसी दौरान कल्लू का चचेरा भाई अब्दुल रहमान सत्तार के पीछे-पीछे फारूक के दरवाजे पर पहुंच गया। सत्तार से कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। मारपीट में दोनों पक्षों से दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। तीसरे घायल मुजीबुउरहमान की बहराइच

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से सोनवा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष सोनवा ने की। 16 आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय पर चार्जशीट प्रस्तुत की। मुकदमे के दौरान दो आरोपित रियासत व जब्बार की मौत हो गई थी। विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में हुआ। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्त ने किया।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने 14 आरोपितों मुहर्रम अली, चुन्नू, बुधई, दौलत, जमीर, दिलबहार, मकबूल, साबिर, कादिर, कयूम, मंगरे, नईमुल्ला, घसीटे उर्फ बाउर निवासीगण तुरहनी रज्जब गांव व छोटू निवासी खंडेला थाना गिलौला को नृशंस हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।